



2026:AHC:10283

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 318 वर्ष 2026

रोशिला

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रह्म नारायण सिंह और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि वे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब वह प्रधान सिपाही के पद पर कार्यरत था, तो उसे इस आधार पर निलंबित कर दिया गया कि उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे या कुछ ऐसी चूक की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे पहली प्राथमिकी संख्या 608/2025 के तहत, भानसं की धारा 132, 352 और 351(2) के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था—विशेष रूप से तब, जब उसने कोई कदाचार नहीं किया था और यद्यपि निलंबन आदेश में यह उल्लेख किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि एक विभागीय जाँच विचाराधीन है फिर भी, न्यायालय का ध्यान कागज़ी दस्तावेज के पृष्ठ 29 की ओर आकर्षित करते हुए, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि अब दिनांक 31.12.2025 के आदेश के माध्यम से एक प्रारंभिक जाँच किए जाने का निर्देश दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों की अधीनस्थ श्रेणी (दंड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम 17(1)(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में, प्रारंभिक जाँच निलंबन से पूर्व की जानी चाहिए, इसे निलंबन के पश्चात नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा **सच्चिदानंद त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य रिट-ए संख्या 69308/2013 के मामले में दिए गए निर्णय**, दिनांक 17.12.2013 को निस्तारित, पर भरोसा जताया गया है इस निर्णय की एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न की गई है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि यद्यपि किसी कर्मचारी को विभागीय जाँच की प्रत्याशा में निलंबित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार होता है, तथापि जब सक्षम प्राधिकारी स्वयं ही यह निर्णय लेने से पूर्व कि क्या एक नियमित विभागीय जाँच की जानी चाहिए या नहीं—पहले एक प्रारंभिक तथ्य-खोज जाँच करना उचित समझता है, तो इसका अर्थ यही लगाया जाएगा कि उस समय कोई नियमित विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं थी, और ऐसी स्थिति में, इसे विभागीय जाँच/कार्यवाही की प्रत्याशा में किया गया निलंबन नहीं कहा जा सकता।

5. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि जिन आरोपों के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, वे गंभीर और संगीन हैं। तथापि, दिनांक 31.12.2025 के पत्र के आधार पर, निलंबन के बाद प्रारंभिक जाँच का आदेश दिया गया है।

6. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निलंबन आदेश के बाद प्रारंभिक जांच करने के लिए एक सूचना जारी की गई है, और निलंबन का सहारा केवल प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है—यदि इसकी आवश्यकता हो। अतः, **सच्चिदानंद नाथ त्रिपाठी (उपर्युक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए, विचाराधीन आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

7. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है और प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26.12.2025 को पारित वह आदेश, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, निरस्त किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद, कानून के पूर्णतः अनुरूप एक नया आदेश पारित करें।

जनवरी 16, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।